

प्रकरण संख्या 186 / 2017

कैलाश श. नैयर बनाम राम गौपाल पारीक वर्गेश्ट
माजी कि-मानपुर

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कैलाश माजी ने जरिये अधिवक्ता श्री शशिभाम शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम सोनिगाणा तह0 माण्डलगढ में आराजी न0 616, 622, 623

किता 3 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन विवाद को लेकर अगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्रार्थी बशामलात आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद कश्तकार शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया गया। ग्राम सोनिगाणा की आराजी न0 616, 622, 623 रकबा बीघा 6 बिस्वा 18 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 350 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। स्व पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकौष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसिलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2

उपखण्ड अधिकारी

